रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सराडा

31/05/19 पत्रावली पेश हुई। वादी–प्रतिवादी उपस्थित
P.O. सा भ्रमण/अवकाश पर होने से
पत्रावली दिनांक 28/08/19 को
पेश हों।
आज्ञा से
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सराडा

28.8.19 पत्रावली पेश हुई वादी/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली में विपक्षी को कई अवसर जवाब हेतु दिये गये परन्तु आज दिनांक तक विपक्षीगण ने जवाब दावा नहीं पेश किया है पत्रावली में वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया

हमारे द्वारा प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौजा परसाद के खाता सं. 144313 रकबा 3 बीघा में से गुमानसिंह पिता रामकिशन ने विपक्षीगण शंकर लाल को $\frac{1}{2}$ हिस्सा विक्रय किया था परन्तु नामान्तरण संख्या 847 में शंकर

बनाम

पत्रावली नं. __________ सन् __________

हुक्म या कार्यवाही / मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लाल के नाम 1/2 का इन्तखाब दर्ज हुआ है बाकी 1/2 हिस्सा बदस्तूर कायम है उक्त साबिक खा.नं. 1443/3 के मिलान क्षेत्रफल से हाल खा.नं. 4527 रकबा 0.30 खा.नं. 4530 रकबा 0.24 कुल किता 2 रकबा 0.54 है. पूरा विपक्षी के नाम हाल खतौनी में दर्ज है उक्त तथ्यों व राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया है एवं अस्थायी निषेधाज्ञा पूर्व में न्यायालय से प्रार्थी के प्रा. पत्र पर दिनांक 29.9.015 को मूल वाद के निस्तारण तक अवार्ड राशि का चेक रोकने हेतु जारी आदेश किया है जिससे प्रार्थीगण का सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है प्रकरण में वाद ग्रस्त भूमि को विक्रय अथवा डेवेलप एग्रीमेंट में अवार्ड राशि विपक्षी गण द्वारा प्राप्त कर ली जाती है तो प्रार्थी गण को अपूर्ण क्षति होगी Shu	